

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)
पीठासीन अधिकारी- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस
राजस्व प्रार्थना पत्र सं. - 40/23 GCMS NO- 2023/99

सुभाष पुत्र सरदारा जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना

बनाम

तहसीलदार बुहाना

-:आदेश:-

दिनांक : 22/03/22

प्रार्थी के "नक्शा दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना एवं, पटवारी हल्का पचेरी खुर्द के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम माजरी की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खसरा नम्बर 674/237, 723/675, 724/675 में नक्शे की वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	माजरी	ग्राम माजरी की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या खसरा नम्बर 674/237, 723/675, 724/675	भूमि का वर्तमान अशुद्ध प्रविष्टि नक्शा प्रदर्श- " अ" के स्थान पर शुद्ध प्रदर्श- " ब" के अनुसार रेकार्ड व नक्शा दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट- रहन यदि कोई हो तो उक्त आदेश की पालना रहनमुक्त होने के पश्चात की जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
दिनांक :- 22/3/23

क्रमांक :- राजस्व/2021/182

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. सुभाष पुत्र सरदारा जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना तह० बुहाना जिला झुंझुनूं व अन्य को सूचनार्थ।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

